

न्यायालय – विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, झालावाड, (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – बरकत अली, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

01-आप. विविध जमानत आवेदन सं 113/2026

सीआईएस नंबर 73/2026

सुभाष पुत्र रामसरन, उम्र-32 साल, निवासी आर.जे.एफ-4, मेन पालम डाबरी, महा-
वीर एन्कलेव, पालम गांव, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, थाना पालम दिल्ली।

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

-अप्रार्थी/अभियोगी

02-आप. विविध जमानत आवेदन सं 120/2026

सीआईएस नंबर 77/2026

01-ललित मीणा पुत्र अमलोकचंद, उम्र-22 साल, निवासी खरेडिया, पुलिस थाना कम-
खेडा, जिला झालावाड (राज.)

02-बन्दी मीणा पुत्र अमलोकचंद, उम्र-25 साल, निवासी खरेडिया, पुलिस थाना कम-
खेडा, जिला झालावाड (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य।

-अप्रार्थी/अभियोगी

03-आप. विविध जमानत आवेदन सं 121/2026

सीआईएस नंबर 78/2026

बनवारीलाल पुत्र मदनलाल, उम्र-32 साल, निवासी मोहनपुरा, पुलिस थाना दांगीपुरा,
जिला झालावाड (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

-अप्रार्थी/अभियोगी

04-आप. विविध जमानत आवेदन सं 123/2026

सीआईएस नंबर 80/2026

अंकित पुत्र परमानन्द उर्फ पप्पू, उम्र-23 साल, निवासी अकतासा, पुलिस थाना अस-
नावर, जिला झालावाड (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-10/2025 पुलिस थाना साईबर पुलिस थाना झालावाड अपराध अंतर्गत धारा-316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2)(बी), 111(4), 319(2), 336(3), 238(बी), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता धारा 65, 66 सी, 66 डी, आई.टी.एक्ट, सेशन प्रकरण संख्या-21/2026, राजस्थान राज्य बनाम रामअवतार सैनी वगैराह।

उपस्थित

1. श्री प्रेमचंद मीणा, अधिवक्ता, अभियुक्त सुभाष, ललित तथा बन्टी मीणा की ओर से,
2. श्री विनोद जैन, अधिवक्ता, अभियुक्त बनवारीलाल की ओर से,
3. श्री दिनेश गूर्जर, अधिवक्ता, अभियुक्त अंकित की ओर से,
4. श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से पृथक-पृथक जमानत के प्रार्थना पत्र पेश किये गये। चूँकि सभी प्रार्थना पत्र हस्तगत प्रकरण से संबंधित हैं, इसिलए सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।
2. प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष की ओर से प्रथम तथा प्रार्थी/अभियुक्त ललित, बन्टीमीणा तथा अंकित की ओर से द्वितीय बनवारीलाल की ओर से तृतीय प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S. में प्रस्तुत हुआ है, जिनकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.08.2025 को साईबर थाना झालावाड पर आम आदमी झालावाड के नाम से एक गोपनीय परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि "प्रार्थी झालावाड जिले का निवासी है तथा प्रार्थी एक संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, इसका नाम आसिक है जो कि गोडिया पुलिस थाना कामखेडा का रहने वाला है, आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 है। आसिक इस गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिये प्रार्थी द्वारा अपना नाम गोपनीय रखा गया है। प्रार्थी को शक है कि आसिक द्वारा किसी सरकारी योजना में घपला किया जा रहा है जिसका पैसा इसके खाते में आता है श्री-

मान से निवेदन है कि आसिक की जांच करने की कृपा करें।" उक्त परिवाद में शिकायतकर्ता का नाम पता अज्ञात परन्तु परिवाद में अंकित तथ्यों से मामला किसी साईबर आर्थिक अपराध का प्रतीत होने से जांच किया जाना आवश्यक होने पर परिवाद पार्ट-3 क्रमांक 06 दिनांक 08.08.2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच रवि सेन कानि. 1591 के जिम्मे की जाने पर जांच प्रारंभ की गयी। जांचकर्ता रवि सेन हाल कानि. 1591 साईबर थाना झालावाड द्वारा परिवाद की जांच की जाकर दिनांक 21.10.2025 को विस्तृत जांच रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात फर्द विश्लेषण बैंक अकाउण्ट, फोन पे स्टेटमेन्ट व सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट पृथक पृथक परिशिष्ट अनुसार सायबर थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत की कि दौराने जांच परिवाद में अंकित संदिग्ध आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 की कैफ आईडी प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नंबर का धारक आसिक अली पुत्र ईशाले खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोडिया पोस्ट बांसखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड होना पाया गया। इस पर उक्त मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल्स तथा इस नंबर से लिंक बैंक खातों बाबत युपीआई गेटवे, फोन पे से डिटेल्स प्राप्त की तो उक्त आसिफ अली के मोबाईल नंबर 9929618733 से कुल 09 बैंक खाते स्वयं व परिजनों के नाम से खुले हुए होकर लिंक होना पाए गए। उक्त बैंक खातों के बैंक स्टेटमेंट संबंधित बैंक से प्राप्त करने पर आसिफ अली स्वयं के नाम पर खुले हुए बैंक खाता संख्या सं० 1-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 61275490881, 02- आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 435101001730, 03-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 5286260716, व 04- इन्डसइन्ड बैंक खाता संख्या 100200512854 तथा स्वयं की पत्नी रिजवाना बानों के नाम से 05- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 41611871232 में केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि राजकोष से जमा व निकासी होने के बडी मात्रा में संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। आसिक अली के एसबीआई खाता संख्या 61275490881 में एक ही दिवस दिनांक 16.07.2024 को 10 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1000 व 750 रूपये राजकीय कोष कार्यालय अकलेरा से जमा होना, आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 435101001730 में दिनांक 17.07.2025 को एक ही दिवस दिनांक 17.07.2025 को 11 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1000 व 750 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 5286260716 में माह सितम्बर 2024 से जनवरी 2025 की अवधि पांच माह में ही दर्जनों बार पेंशन योजनाओं की राशि 1150, 1000, 750 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर से जमा होना, इन्डसइन्ड बैंक

खाता संख्या 100200512857 में दिनांक 17.07.2025 को एक दिवस में ही 16 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1500, 1150, 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना एवं आसिक अली की पत्नी रिजवाना के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 41611871232 में दिनांक 16.07.2024 को एक दिवस में ही 10 बार 1150, 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इस प्रकार की राशि जमा होने का रिकॉर्ड पाया गया जिससे संदिग्ध आसिक के बैंक खातों में सरकारी खजाने से भारी मात्रा में धनराशि जमा होकर उसकी निकासी होने बाबत संदिग्ध लेनदेन प्रमाणित पाया गया। इस पर संदिग्ध आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 की प्राप्त कॉल डिटेल्स का विश्लेषण करने पर उक्त आसिक अली का संपर्क संदिग्ध राजुलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414691807 से होना पाया गया। इस पर उक्त राजुलाल सैनी के मोबाईल नंबर 9414691807 की सीडीआर प्राप्त विश्लेषण किया गया तो जिला झालावाड़ के मनोहरथाना व अकलेरा क्षेत्र के 01-परमानंद पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ मोबाईल नंबर 7742133757.02. महावीर पारेता पुत्र जगदीच पारेता निवासी विन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ मोबाईल नंबर 9799737208, 03. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ मोबाईल नंबर 9799698996 संपर्क में होना पाये जाकर सीडीआर संदिग्ध पायी गयी। इस पर उक्त संदिग्ध चारों व्यक्तियों के मोबाईल नंबरों से लिंक बैंक खातों की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर 01. राजूलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा के मोबाईल नंबर 9414691807 से उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक में स्वयं के नाम का खाता संख्या 2215110010052099, एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक में खाता संख्या 1911216223893902 व स्वयं के परिजन श्रीमती मनीषा सैनी के नाम से एयू बैंक का खाता संख्या 1751220913473492 लिंक होना पाये गये। उक्त तीनों बैंक खातों के स्टेटमेन्ट प्राप्त करने पर स्वयं राजूलाल के उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक खाता संख्या 2215110010052099 में दिनांक 20.05.2024 व 21.05.2024 दो दिवस में कुल 15 बार पेंशन योजना की राशि 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक खाता संख्या 1911216223893902 में दिनांक 10.03.2022 को एक ही दिवस में कुल 27 बार पेंशन योजना की राशि 1000 रुपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, तथा राजुलाल के परिजन श्रीमती मनीषा सैनी के एयू बैंक

का खाता संख्या 1751220913473492 में दिनांक 28.11.2022 को एक ही दिवस में कुल 06 बार पेंशन योजना की राशि 750 रुपये तथा अन्य तिथियों में भी इसी प्रकार सरकारी योजना की धनराशि राजकीय कोष कार्यालय से जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 02. परमानंद मीणा के मोबाईल नंबर 7742133757 से स्वयं की पत्नी संतोषबाई मीणा पत्नी परमानंद मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड का एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 परिजन रिकू मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 37002559554 लिंक होना पाये गए। दोनो बैंक खातों का स्टेटमेंट प्राप्त करने पर रिकू मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 37002559554 में दिनांक 14.03.2025 को एक ही दिवस में 08 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना तथा संतोषबाई मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 में दिनांक 10.03.2022 को एक दिवस में 50 बार पेशन योजनाओं की राशि 750 व 500 रुपये राजकीय कोष कार्यालय से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इस प्रकार की राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 03. महावीर पारेता. पुत्र जगदीश पारेता निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799737208 की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नम्बर से स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 20349331222 व बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 32950200000554 लिंक होना पाया गया। उक्त खातों का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने पर दिनांक 24.02.2025 को एक ही दिवस में 07 बार पीएम किसान निधि सरकारी योजना की राशि 2000 रुपये राजकीय कोष से जमा होना व बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 32950200000554 में दिनांक 29.03.2021 व 31.03.2021 को कुल 06 बार धनराशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 04. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नम्बर से स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 33607210198, इण्डिया पोस्ट पै-मेंट बैंक खाता संख्या 046110020636 तथा परिचित श्रीमती अनोखबाई पत्नी रामस्वरूप का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2347001700015785 लिंक होना पाये गये। इन खातों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने पर स्वयं सुनील साहू के नाम एसबीआई बैंक खाता संख्या 33607210198 में दिनांक 12.09.2024 को एक दिवस में 17 बार राजकीय कोष कार्यालय से विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि 750,1000 व 1150 रुपये राजकीय कोष से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी

इसी प्रकार राशि जमा होने का संदिग्ध रिकार्ड पाया गया। सुनील साहू के इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110020636 में दिनांक 14.03.2025 को एक ही दिवस 08 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना तथा परिचित श्रीमती अनोखबाई पत्नी रामस्वरूप का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2347001700015785 में दिनांक 07.01.2025 से 10.01.2025 तक लगातार दिवसों में विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि जमा होने के संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। इस प्रकार परिवाद में वर्णित संदिग्ध आसिक अली व उसके साथ जुड़े उक्त लोगो राजूलाल सैनी, परमानन्द मीणा, महावीर पारेता व सुनील कुमार साहू द्वारा अपने मोबाईल नम्बरों से अनेकों बैंक खाते लिंक कर, कई सारे बैंक खाते खुलवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा निकासी के ट्रांजेक्शन होकर इन सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी बाबत पूर्णतया संदिग्ध रिकार्ड पाया गया। सरकारी योजनाओं की इस घपलेबाजी के कृत्य में और भी लोगो के जुड़े होने तथा बड़ा नेटवर्क होने की संभावना होने पर जांचकर्ता द्वारा जिले की तहसील मनोहरथाना व अकलेरा क्षेत्र में संभावित लाभार्थी लोगो से जानकारीयां प्राप्त की गई, विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सीज तहसील, पटवारी, ग्राम पंचायत, ई-मित्र व वितीय संस्थानों बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि से गोपनीय जानकारीयां व सरकारी योजनाओ के पात्रता, आवेदन, क्रियान्वयन व लाभार्थियों को धनराशि हस्तान्तरण की प्रक्रियाओं बाबत जानकारी प्राप्त करते हुए संदिग्धो बाबत तकनीकी माध्यमों से आसूचना संकलन की गई। आसूचना व डाटा संकलन से इन लोगो का संपर्क रामवतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केशरीसिंहपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414649415 से होना पाया जाकर रामावतार सैनी ही इस घपलेबाजी का मास्टरमाइंड होकर सारे सिस्टम व प्रोसेस को ऑपरेट करना जानकारी में आया। इस पर संदिग्ध रामावतार सैनी के मोबाईल नम्बर 9414649415 की कॉल डिटेल्स तथा यूपीआई गेटवे फोन पे की डिटेल्स प्राप्त की गई। प्राप्त फोन पे डिटेल्स का विश्लेषण किया तो रामावतार सैनी जिला झालावाड की तहसील अकलेरा च मनोहरथाना के 01- बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 8890655092, 7665850262, 02. शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना मोबाईल नंबर 7340101479, 03. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6376597936, 9571891220, 04. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा मोबाईल नंबर 9829905140, 05. राजु तंवर निवासी छान हाल वांगीपुरा जोहड मोबाईल

नंबर 7357900260, 9981884724. 06. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुवा-डिया तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 9111789761 के संपर्क में होना पाया जाकर इन सभी के साथ उसके फोन पे पर संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। इस पर इन सभी के मोबाईल नम्बरों से लिंक बैंक खातों का रेकार्ड प्राप्त किया तो 01. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 8890655092 से सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 3917873735, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक खाता संख्या 046110044208, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100233390127 व खाता संख्या 50200036210001, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100615428, फीनो बैंक खाता संख्या 20304204022 लिंक होना पाये गये। जिनके पृथक पृथक बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण करने पर बिहारी गोयल के सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 3917873735 में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर व जोधपुर से तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी संदिग्ध धनराशि जमा होना इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110044208 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय से संदिग्ध धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100233390127 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर, से संदिग्ध धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक के ही खाता संख्या 50200036210001 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर व जोधपुर से संदिग्ध धन राशि जमा होना, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100615428 में वर्ष 2024 से अब तक राजकीय कोष कार्यालय प्रतापगढ़, जोधपुर शहर, नागौर व बांसवाड़ा से संदिग्ध धनराशि तथा फीनो बैंक खाता संख्या 20304204022 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, उदयपुर से संदिग्ध धनराशि जमा होना पाया गया संदिग्ध शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 7340101479 से बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32958100024614, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3939506430, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889, खाता संख्या 46220100608148, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064250, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32958100038989 तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 43480454934 स्वयं व परिजनों के नाम से होकर

लिक होना पाये गये, जिनके पृथक पृथक बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर विश्लेषण करने पर बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32958100024614 में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3939506430 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर से, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027 में वर्ष 2020 व 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालयों से संदिग्ध धनराशि जमा होना, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889 में वर्ष 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर से, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027 में वर्ष 2020 व 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालयों से संदिग्ध धनराशि जमा होना, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889 में वर्ष 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर, बुंदी से, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608148 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा से, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064250 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालयों तथा वर्ष 2022 से अब तक विभिन्न तिथियों में प्रधानमंत्री किसान निधि सरकारी योजना की धनराशि जमा होना, बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32958100038989 में वर्ष 2025 की विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण, बांसवाडा, जयपुर शहर से संदिग्ध धनराशि एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 43480454934 में वर्ष 2025 की विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय से संदिग्ध धनराशि जमा होना पायी गयी। संदिग्ध 03. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 6376597936 से बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608022, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 40540718530, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 40511928327, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3867722338, एचडीएफसी बैंक का खाता संख्या 50100358728397, फिनी बैंक का खाता संख्या 20156853542 स्वयं के परिजनो व अन्य परिचितो के नाम से खुलाए होकर लिक होना पाए गए जिनका बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608022 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर बांरा कोटा, जयपुर ग्रामीण व जोधपुर शहर से विभिन्न सरकारी योजनाओं, मुआवजा राशि व प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना की धन राशि जमा होना, स्टेट बैंक

ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 40540718530 में वर्ष 2022 से अब तक तथा एसबीआई बैंक का खाता संख्या 40511928327 में वर्ष 2024-25 में अब तक राजकीय कोष से धन राशि जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3867722338 में वर्ष 2021 से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा विभिन्न योजनाओं की धनराशि राजकीय कोटा, जोधपुर से जमा होना, एचडीएफसी कोष कार्यालय बांरा टोक, बून्दी, अलवर, जयपुर, बैंक खाता संख्या 50100358728397 में वर्ष 2022 से अब तक राजकीय कोष कार्यालय बांरा, कोटा, टोंक बुन्दी, अलवर से विभिन्न सरकारी योजनाओं, की धन राशि जमा होना एवं फिनो बैंक खाता संख्या 20156853542 में 2022 से अब तक आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (digaster management information system) के सरकारी पोर्टल 'डीएमआईएस से मुआवजा राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया है। संदिग्ध 04. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा के मोबाईल नंबर 9829905140 से बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32950100014965, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064007, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100335146980 इण्डिया का खाता संख्या 39261289461, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609798, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261210401, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100613087, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 39261141865, बडोदा राजस्थान 46220100609800, 48690100006608 व खाता संख्या 46220100468178 स्वयं तथा अपने परिजन व परिचितों के नाम से खुले होकर लिंक होना पाये गये जिनके स्टेटमेन्ट प्राप्त किए गए तो रामबाबु के बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32950100014965 में वर्ष 2023 व 2024 विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय श्रीगंगानगर, टोंक, बुंदी, अजमेर व बांसवाडा से धनराशि जमा होना, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046.110064007 में वर्ष 2021 व 2022 में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100335146980 में वर्ष 2023 व 2024 की विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय झालावाड, बांसवाडा, अजमेर, बून्दी व श्री गंगानगर से राशि जमा होना तथा वर्ष 2020 से 2022 की अवधि में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या

39261289461 में वर्ष 2024 की विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609798 में वर्ष 2023 व 2024 में राजकीय कोष कार्यालय झालावाड, अजमेर व बूंदी से जमा होना तथा वर्ष 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय जयपुर, कोटा, बांसवाडा, अलवर, श्री गंगानगर से धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799 में वर्ष 2022 व 2024 में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, अजमेर व बूंदी से धनराशि जमा होना तथा 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय जयपुर, कोटा, बांसवाडा, अलवर, श्री गंगानगर से धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799 में वर्ष 2022 व 2024 में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, अजमेर व बूंदी से धनराशि जमा होना तथा 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261210401 में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100613087 में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय सचिवालय, अजमेर, बूंदी, श्रीगंगानगर, जयपुर ग्रामीण से तथा वर्ष 2021 में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 39261141865 में वर्ष 2024 की विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100609800, 48690100006608 व 46220100468178 में वर्ष 2019 से अब तक की अवधि में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा, अजमेर, बूंदी, अलवर, झालावाड, जयपुर, बांसवाडा व जयपुर ग्रामीण से तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया है। संदिग्ध 05. राजू तंवर निवासी छान हाल दांगीपुरा जोहड के मोबाईल नंबर 9981884724 से स्वयं के नाम से खुला हुआ बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100625107 लिंक होना पाया गया। जिसका बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण किया तो वर्ष 2001 में सो की जमा होता पाया गया। इसी प्रकार संदिग्ध 06. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुंवाडिया, तहसील मनोहर के मोबाईल नंबर 9111789761 से एफडीएफसी बैंक का स्वयं के नाम से खुला हुआ खाता संख्या 50100358728371 लिंक होना पाया गया जिसका बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो उक्त बैंक खाते में 2020 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, टोंक, बुन्दी, अलवर, कोटा से तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना पायी गयी। उपरोक्त संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों के स्टेटमेन्ट, फोन पे डिटेल्स व सीडीआर का विप्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी लोग रामावतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी के सिंगपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के अभी भी निरंतर सक्रिय संपर्क में है तथा इनके द्वारा रामावतार सैनी को बडी मात्रा में धनराशि नकद भी दी गई है साथ ही रामावतार सैनी के बैंक खातों में भी ट्रांसफर की गयी है। रामावतार सैनी के मोबाईल नंबर 9414649415 की यूपीआई गेटवे फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर कुल 14 बैंक खाते जिनमें 12 स्वयं के तथा 02 परिजन के नाम पर विभिन्न बैंकों में खुले होकर उक्त मोबाईल नंबर से लिंक होना पाया गया। रामावतार सैनी के मोबाईल नम्बर 9414649415 से लिंक बैंक खातों बाबत फोन पे डिटेल्स प्राप्त कर विश्लेषण किया तो पाया गया कि उपर्वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा रामावतार सैनी के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर भी की गयी है। विश्लेषण के मुताबिक अवधि 2024-25 में संदिग्ध 01. आसिक अली द्वारा राशि 9,80,000 रुपये, 02. राजू लाल सैनी के बैंक खातो से 4,24,000 रुपये, 03. सुनील साहू द्वारा राशि 11000 रुपये, 04. परमानंद मीणा द्वारा 50,000 रुपये, 05. बिहारी गोयल द्वारा 14,91,000 रुपये, 06. शिवनारायण तंवर द्वारा 26,900 रुपये, 07. धीरप तंवर द्वारा 2,33,000 रुपये एवं 08. राजू तंवर निवासी छान द्वारा 4,85,800 रुपये संदिग्ध रामावतार सैनी के बैंक खातों में ट्रांसफर किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रामावतार सैनी ने इस कार्य को करने के लिए एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसका मुख्य सरगना वह स्वयं है। रामावतार व इसके एजेन्ट्स के माध्यम से भोले भाले आम नागरिक, ग्रामीण काश्तकार लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाता आधार कार्ड आदि का विवरण प्राप्त कर उन खातों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी व पेंशन योजनाओं तथा मुआवजा स्कीम से किसी प्रकार जोडकर उनका अनुचित लाभ इनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। रामावतार सैनी के प्राप्त फोन पे स्टेटमेन्ट का विश्ले-

षण करने पर उपर्वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा 01. रामबाबू मोबाईल नंबर 6376281218, 02. चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिशचन्द्र निवासी इकतासा तहसील असनावर, जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742491734, 03. रोडुलाल पुत्र इन्दर सिंह निवासी चांदपुरा भीलान पो. कंवरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 6376879970 एवं 04. बिट्ठल तंवर पुत्र गंगाराम निवासी देहरी-नाथ एमपी हाल छान तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6264899744 का भी रामावतार सैनी के साथ संदिग्ध ट्रांजेक्शन व सीडीआर पाये गये। फोन पे डिटेल्स से 01. रामबाबू द्वारा राशि 75,600 रूपये, 02. चन्द्रप्रकाश सुमन द्वारा 20,68,300 रूपये, 03. रोडुलाल द्वारा 19000 रूपये एवं 05. बिट्ठल तंवर द्वारा 60000 रूपये रामावतार सैनी के विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाना पाया गया है। इस प्रकार परिवाद में अब तक की जांच, रेकार्ड पर आये साक्ष्य सी.डी.-.आर., यूपीआई गेटवे फोन पे डिटेल्स, संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खाता स्टेटमेंट, आसूचना संकलन एवं तकनीकी निगरानी व डाटा संकलन से यह स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों में से कई लोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व क्रियाकलापों के इंटरनेट सेवा प्रदाता सिस्टम (ई-पोर्टल) तथा ई मित्र सेवाओं की जानकारी रखते हैं। संदिग्ध रामावतार सैनी इस संगठित गिरोह का सरगना एवं मास्टरमाईड है जो केन्द्र व राज्य सरकार पेंशन योजनाओं, तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि के लिए पात्र लाभार्थियों का दा जाने वाली पेंशन सहायता राशि बाबत संचालित इंटरनेट पोर्टल तथा आपदा प्रबंधन सूचना सिस्टम (डीएमआईएस) पोर्टल के बारे में तथा इनकी संचालन प्रक्रिया (Operating System) तथा लैण्ड सिडिंग की पूरी जानकारी रखता है और संबंधित पोर्टल सिस्टम के किन्ही कार्यकारी व्यक्तियों के सहयोग से डाटा अपलोड व लैण्ड सिडिंग कर अपात्र लाभार्थियों को भी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु डाटा अपलोड व अप्रूव करवाता है। इस हेतु वह ई-सर्विसेज की जानकारी रखने वाले को अपने एजेन्ट्स बनाता है, फिर ये बनाये गये एजेन्ट्स गांव देहात में ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता नहीं रखते या अगर किसी परिवार में यदि एक सदस्य किसी योजना का लाभार्थी है तो उसी सदस्य के अन्य बैंकों में भी खाते खुलवाकर एक से अधिक बार उसी योजना का लाभ दिलाने तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उसी योजना का लाभ दिलाने का झांसा व प्रलोभन देकर उनसे उनके बैंक खाता व पहचान दस्तावेज आधार/जनाधार आदि प्राप्त कर एकत्रित डाटा रामावतार सैनी को उपलब्ध करवाते हैं। जिन्हे रामावतार सैनी संबंधित वेलफेयर/स्कीम पोर्टल पर फर्जी तरीके से अपलोड व अप्रूव करवा-

कर उन योजनाओं से फर्जी तरीके से जोड़कर बड़ी भारी मात्रा में करोड़ों रूपयों की राजकोषीय धनराशि का गबन व दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी ऐवज में संबंधित लाभार्थी को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की धनराशि का तय हुई शर्तों के मुताबिक प्रतिशत के हिसाब से भारी मात्रा में अनुचित आर्थिक लाभ रामावतार सैनी व उसके एजेन्ट्स द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तथा सरकारी धनराशि की इस घपलेबाजी में उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा भी बड़ी संख्या में अन्य लोगों के संलिप्त होने की पूरी-पूरी आशंका है, जिनके खिलाफ तुरन्त ही विधिक कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार 1. रामवतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केशरीसिंहपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414649415 व उसके सहयोगी एजेन्ट्स 02. आसिक अली पुत्र ईशाले खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोडिया पोस्ट बांसखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड, 03. राजुलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414691807, 04. परमानंद मीणा पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742133757, 05. महावीर पारेता पुत्र जगदीश पारेता निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नं० 9799737208. 06. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 07. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल चमार निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 8890655092, 7665850262, 08. शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना मोबाईल नंबर 7340101479, 09. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6376597936, 9571891220, 10. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा मोबाईल नंबर 9829905140, 11. राजु तंवर निवासी छान हाल दांगीपुरा जोहड मोबाईल नंबर 7357900260, 9981884724, 12. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुवाडिया तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 9111789761 13. रामबाबु मोबाईल नंबर 6376281218, 14. चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिशचन्द्र निवासी इकतासा तहसील असनावर, जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742491734, 15. रोडुलाल पुत्र इन्दर सिंह निवासी चांदपुरा भीलान पोस्ट कंवरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 6376879970 एवं 16. बिट्ठल तंवर पुत्र गंगाराम मोबाईल न. 6264899744 द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए सोची समझी सुनियोजित योजना के तहत षडयंत्रपूर्वक भोले भाले आम ग्रामीण देहाती व्यक्तियों को झांसा व प्रलोभन देकर इनके बैंक/पहचान दस्तावेज

प्राप्त कर किसी अन्य के राजस्व अथवा पात्रता रेकार्ड के साथ जोड़कर धोखाधड़ी पूर्वक कम्प्यूटर संसाधनों/सरकारी इन्टरनेट सेवाओं का उपयोग कर पहचान बदलते हुए केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी व पेंशन योजनाओं तथा प्रधानमंत्री किस सम्मान निधि योजना आदि के लिए लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि बाबत संचा इन्टरनेट सेवा प्रदाता सर्विसेज पोर्टल तथा आपदा प्रबंधन सूचना सिस्टम (डीएमआईएस) पोर्टल का दुरुपयोग कर बड़े स्तर पर राजकीय कोष की करोड़ों रूपयें धनराशि हस्तांतरण से जमा निकासी कर दुरुपयोग किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया अपराध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 111(2) (11) (4) बीएनएस 2023 व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट का संज्ञेय अपराध बनना पाया जाता है। अतः परिवाद जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण जांच पत्रादि के एफ.आई.आर. दर्ज कर अनुसंधान कार्य श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है, इत्यादि। मजमून जांच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात के प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 10/2025 अपराध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2) (11) (4) बी.एन व धारा 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज कर निर्देशानुसार अनुसंधान प्रेम कुमार आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त भंवानीमडी द्वारा प्रारम्भ किया गया। इत्यादि। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। बाद अनुसंधान प्रकरण में धारा-316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2)(बी), 111(4), 319(2), 336(3), 238(बी), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 65, 66 सी, 66 डी, आई.टी.एक्ट का आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया, जो सेशन कमिट होकर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड में अंतरित हुआ, जो उत्तरोत्तर इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उनका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उनको झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उनके, बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी-गण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। अतः प्रा-

थी/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध सिंडिकेट का सदस्य होते हुए संगठित अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण, लोकसेवक के नाते आपराधिक न्यास भंग, छल, प्रतिरूपण द्वारा छल, छल के प्रयोजन से दस्तावेजात की कूटरचना, कम्प्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग कर दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी व पहचान की चोरी करने संबंधी गंभीर अपराध के आरोप हैं। धोखाधड़ी व छल कर भारी मात्रा में राजकोष का गबन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ललित, बन्टी मीणा तथा अंकित व सह-अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज किये जा चुके हैं तब प्रकरण अनुसंधानाधीन था तथा अब केवल प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत होने के अलावा कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2)(बी), 111(4), 319(2), 336(3), 238(बी), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 65, 66 सी, 66 डी, आई.टी.एक्ट का अपराध बनना पाया गया है। हालांकि अनुसंधान पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं है। किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराधों के आरोप हैं। हस्तगत प्रकरण के अपराध में सभी अभियुक्तों की भूमिका अलग-अलग है, तथा अपराध का उद्देश्य गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। यह अपराध समूह के रूप में निरन्तर एवं योजनाबद्ध तरीके से संचालित हुआ है। रामअवतार सैनी अपराध का सरगना अपराधी है। अभियुक्त सरकारी योजनाओं में करोड़ों रूपयों की घपलेबाजी के उक्त अपराध का मास्टरमाइंड होकर सारे सिस्टम व प्रोसेस को ऑपरेट करना पाया गया है। रामावतार सैनी के मोबाइल नंबर 9414649415 की यूपीआई गेटवे फोनपे डिटेल्स प्राप्त करने पर विभिन्न बैंकों के कुल 14 बैंक खाते इस एक ही मोबाइल नम्बर से लिंक होना पाया गया। लिंक बैंक खातों बाबत फोनपे डिटेल्स प्राप्त करने पर पाया गया कि अवधि 2024-25 में प्रकरण की एफआईआर में नामजद अन्य आरोपियों एवं रामवतार के एजेंट्स 01. आसिक अली द्वारा राशि 9,80,000 रूपये, 02. राजू लाल सैनी द्वारा 4,24,000 रूपये, 03. सुनील साहू द्वारा राशि 11000 रूपये,

04. परमानंद मीणा द्वारा 50,000 रुपये, 05. बिहारी गोयल द्वारा 14,91,000 रुपये, 06. शिवनारयण तंवर द्वारा 26,900 रुपये, 07. धीरप तंवर द्वारा 2,33,000 रुपये एवं 08. राजू तंवर निवासी छान द्वारा 4,85,800 रुपये, 09. रामबाबू द्वारा 75,600 रुपये, 10. चन्द्रप्रकाश सुमन द्वारा 20,68,300 रुपये, 11. रोडुलाल द्वारा 19000 रुपये एवं 12. बिट्ठल तंवर द्वारा 60,000 रुपये बतौर कमीशन राशि मुल्जिम रामावतार सैनी के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाना पाया गया है। रामवतार सैनी द्वारा वर्णित अपराध त्रि-स्तरीय मोड्यूल (स्थानीय मॉड्यूल, स्टेट ऑफिस मॉड्यूल व पंजाब मोड्यूल) में कारित किया जाना पाया गया है। उक्त गैंग द्वारा अब तक प्राप्त डेटा के विषलेषण और विभिन्न जिलों से प्राप्त डाटा के भौतिक सत्यापन से DMIS (फसल खराबा मुआवजा) में 3.62 करोड रू. एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजना मे 14.28 करोड रू. सरकारी धनराशि का साईबर फ्रॉड के माध्यम से दुरुपयोग/दुर्विनियोग किये जाने के तथ्य सामने आये हैं जो पूर्ण आंकडे उपलब्ध होने एवं विश्लेषण उपरान्त यह धनराशि कई गुना अधिक हो सकती है। प्रकरण हाजा मे गिरफ्तार किये गये इस गिरोह जैसे अनेकों अन्य गिरोह देश एवं प्रदेश में सक्रिय हैं, जिनसे भी इन लोगों के तार जुडे हुए हो सकते है।

01-प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष के द्वारा** उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश व पंजाब के बडी संख्या मे अपात्र लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, मा लाडली बहिन योजना, झारखण्ड मैया सम्मान योजना पंजाब लेण्ड सिडिंग, मध्य प्रदेश लेण्ड सिडिंग, उत्तर प्रदेश लेण्ड सिडिंग तथा इनेक्टिव अकाउन्ट्स को एक्टिव करवाने के लिये उपरोक्त विभिन्न राज्यों से एकत्रित किये गये डाटा को रामअवतार सैनी के साथ साझा किया जाना पाया गया है।

02-प्रार्थी/अभियुक्त **ललित** प्रकरण के सरगना रामअवतार के साथ साथ राजू सैनी व आशिक अली के लोकल एजेन्ट के तौर पर कार्य करते हुए गांव देहात मे सरकारी योजनाओं के लिये पूर्णतया अपात्र लोगों से सम्पर्क कर उन्हें पात्रता सूची में शामिल करवाकर पीएम किसान व पेन्शन योजनाओं का लाभ दिलवाने का झांसा देकर उनसे आधार कार्ड, बैंक खाता, आईएफएससी, जनआधार कार्ड व मोबाईल नम्बर आदि का डाटा मय एडवान्स राशि प्राप्त कर इन लोगों को उपलब्ध करवाता था। अभियुक्त ललित द्वारा अपने भाई बन्टी मीणा को भी सब एजेन्ट के रूप में रखकर अपराध मे सहयोग प्राप्त किया जाना पाया गया है।

03-प्रार्थी/अभियुक्त **बन्टी मीणा** प्रकरण के सरगना रामअवतार के मुख्य एजेन्ट ललित मीणा का सगा भाई है, जिसके द्वारा ललित मीणा के साथ साथ एक अन्य मुख्य अपराधी आशिक अली निवासी गोडिया को अपात्र लोगों के डाटा उपलब्ध

करवाकर बतौर कमीशन अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना अनुसंधान से पाया गया है। किसान सम्मान निधी योजना मे अपात्र लोगो को पात्रता सूची में जुडवाने तथा प्रलोभन देकर उनसे एक किस्त की राशि एडंवास प्राप्त कर एकत्रित किये गये डाटा एंव अकाउन्ट को मुल. आशिक अली को उपलब्ध करवाता था। 04-प्रार्थी/अभियुक्त **बनवारीलाल** प्रकरण के सरगना रामअवतार सैनी के सीधे सम्पर्क में होकर मनोहरथाना दांगीपुरा ईलाके का मुख्य एजेन्ट है जो अपने स्थानीय सब एजेन्ट के माध्यम से अपात्र लोगों को योजनाओं की पात्रता सूची मे जोडने का झांसा देकर एकत्रित किये हुए नीजी डाटा (नाम-पता, आईडीदस्तावेज, बैंक डेटैल्स, आधार जन अधार व मोबाईल नम्बर) को मय कमीशन राशि को मुख्य सरगना रामअवतार सैनी को बल्क मे उपलब्ध करवाया जाना पाया गया है।

05-प्रार्थी/अभियुक्त **अंकित सुमन** प्रकरण के प्रमुख अपराधियों में से एक चन्द्रप्रकाश सुमन का सब एजेन्ट एवं सहयोगी होकर प्रकरण के आपराधिक सिंडीकेट का सदस्य होना पाया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त बनवारीलाल, ललित, बन्टी मीणा तथा अंकित व अन्य सह-अभियुक्तगण के जमानत के आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किये जा चुके है उस समय प्रकरण अनुसंधानाधीन था तथा अब प्रकरण में केवल आरोप-पत्र होने से प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाता है तो साक्ष्य के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपराध की गंभीरता व व्यापक स्तर पर आर्थिक, वित्तीय गबन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष की ओर से प्रस्तुत प्रथम तथा प्रार्थी/अभियुक्त ललित, बन्टी मीणा तथा अंकित की ओर से प्रस्तुत द्वितीय तथा बनवारीलाल की ओर से प्रस्तुत तृतीय प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** इस प्रकरण में **अस्वीकार** कर **खारिज** किया जाता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

(बरकत अली)

विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण,
झालावाड़ (राज.)

7. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण,
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(मोहम्मद हुसैन)
स्टेनो ग्रेड-1

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सक है।